कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक– 700 /11सी–सहारनपुर, दिनांक, लखनऊ, सितम्बर 07/08, 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।

विषय : शिवालिक वन प्रभाग में छुटमुलपुर–गणेशपुर भाग (एन0एच0–72ए) किमी0 4.100 से 16.000 तक तथा रूड़की–छुटमुलपुर–सहारनपुर–यमुनानगर (एन0एच0–73) किमी0 22.000 से 23.000 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 39.295 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4436 वृक्षों के पातन व सा0वा0 सहारनपुर वन प्रभाग में किमी0 28.300 से 70.000 तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 30.966 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 3408 वृक्षों के पातन **कुल 70.201 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 7844 वृक्षों के पातन की अनुमति।**

सन्दर्भ :आपके कार्यालय का पत्रांक–727/14–10, दिनांक 04.09.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि0 14.08.2017 द्वारा इंगित सूचनाओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की प्रतियॉ इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी हैं। उक्त प्रस्ताव के अवलोकन से विदित होता है कि कतिपय बिन्दुओं की सूचनायें पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

1– ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–C-b(iii) में अपलोडेड अभिलेखों पर किसी के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। प्रयोक्ता एजेंसी के सक्षम प्राधिकारी के नाम व सील तथा दिनांक सहित हस्ताक्षर कराकर अपलोड करायें।

2– ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–C-b(iv) में अक्षॉश व देशान्तर अंकित कर अपलोड नहीं किया गया है। अपलोडेड अभिलेखों पर किसी के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। सक्षम प्राधिकारी के नाम व सील तथा दिनांक सहित हस्ताक्षर कराकर अपलोड करायें।

3– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की Kml file में चयनित स्थल पेन्टेड प्रदर्शित हो रहा है, जिससे मौके की वनावरण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। कृपया ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–13(i) पर Kml file संशोधित कर अपलोड करें व सी0डी0 प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

4– बिन्दु–9 के कम में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड की आख्या संलग्न नहीं की गयी है। आख्या प्राप्त कर ऑनलाइन पार्ट–1 के Additional Information Details में अपलोड करते हुए सत्यापित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही तत्काल कराने का कष्ट करें ताकि, अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सके।

भवदीय,

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 700 / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, सहारनपुर।

2– प्रभागीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर।

3– परियोजना निदेशक, पी0आई0यू0 देहरादून, मकान नं0–5 लेन नं0–4, तेगबहादुर रोड, देहरादून को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Q